

कार्यालय आदेश संख्या -1313/NG/2019/MECH/SPJ

श्री विजय कुमार सिंह, पुत्र श्री रिपुसुदन सिंह, सलोपा/पश्चिम मध्य रेलवे/भोपाल मंडल वेतन लेवल-4, जिनका अंतर रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण मरेप्र (कार्मिक)/भोपाल मंडल/पश्चिम मध्य रेलवे का पत्र संख्या:- WCR/P-HQ/ET/222/06/ALP-Own request, dt.15.06.2017 एवं महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर का पत्र सं0:-ECR/HRD/Mech/283/IRT/ALP/Merged Grade, दिनांक 29.08.2017 के द्वारा स्वीकृत है, तथा मरेप्र(कार्मिक)/पमरे/भोपाल का पत्रांक पमरे/का-भो/222/स्व.अ.रे.स्था./18/भारमुक्ति/एलआर, दिनांक 18.11.19 द्वारा विरमित हो कर महाप्रबंधक(कार्मिक)/पूमरे/हाजीपुर कार्यालय मे दिनांक 20.11.2019 को रिपोर्ट किये तदोपरांत महाप्रबंधक (कार्मिक)/पूमरे/हाजीपुर ने अपने पत्र संख्या:- ECR/HRD/Mech/ALP/283/ALL DIV./IRT/Aug 2015/Part-File, दिनांक 04.12.2019 के द्वारा विरमित कर इस मंडल में पदस्थापना हेतु मे भेजा है। कर्मचारी दिनांक 05.12.2019 को इस कार्यालय मे पदास्थापना हेतु रिपोर्ट किये हैं, को सलोपा (लेवल-2) के निम्नतम वरीयता पर संयुक्त कू लॉबी/दरभंगा के अधीन पदस्थापित किया जाता है।

इनके महाप्रबंधक(कार्मिक)/पूमरे/हाजीपुर में रिपोर्ट करने की तिथि 20.11.19 से 04.12.2019 एवं इस कार्यालय मे रिपोर्ट करने की तिथि 05.12.2019 से कार्यालय आदेश जारी होने तक की अवधि को पदस्थापना हेतु प्रतिक्षारत अवधि मानी जाएगी।

उक्त स्थानान्तरण, कर्मचारी के अन्तर रेलवे निजी अनुरोध पर है, अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है।

उपरोक्त मयाइं(पावर)/समस्तीपुर द्वारा आदेशित है।

श्री विजय कुमार सिंह का फोटो, हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित है।



Vijay Kumar Singh,



(चन्द्र किशोर)
सहायक कार्मिक अधिकारी-II
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर

स0- का/III/283/यां(पावर)/सलोपा/निजी अनुरोध/स्था0/अ.म.-अ.रे./पार्ट-VI दिनांक 17.12..2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/ भोपाल मंडल, पश्चिम मध्य रेलवे (पिन कोड-462039)- कृपया उपरोक्त कर्मचारी का ए0पी0ए0आर0, एल0पी0सी0 एवं सेवा अभिलेख विधिकोषपरान्त इस मंडल को अविलम्ब भेजने की व्यवस्था करें।
2. मयाइं(पावर)/समस्तीपुर।
3. वमविप्र/समस्तीपुर।
4. संयुक्त कू लॉबी/दरभंगा -उक्त कर्मचारी का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दें।
5. मुकार्याधी/ यांत्रिक संवर्ग-उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करे।
6. मुकार्याधी/यांत्रिक बिल, कार्यालय में।
7. मुकार्याधी/अनुश्रवण प्रकोष्ठ।
8. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो0/सम0 मंडल।
9. संबंधित कर्मचारी-आप संयुक्त कू लॉबी/दरभंगा के अधीन को रिपोर्ट करें।
10. अभिलेख हेतु।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेलवे, समस्तीपुर